



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अनुसूची-II  
SCHEDULE II  
FORM H (See regulation 13)  
फॉर्म एच (विनियम 13 देखें)

पंजीयन संख्या  
Registration Number ..... 031

पंजीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र  
RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा मि. इंस्टाबीमा इंडियॉरेंट  
वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a  
RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION to M/s Instabima Insurance Web Aggregator  
to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under that Act. Prvt Ltd.

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण का कूट IRDA/WB 38/2016 है।

RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION Code for the Insurance Web Aggregator is IRDA/WB 38/2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र का यह नवीकरण 02.08.2023 से 01.08.2026 तक वैध होगा।

1. This RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION shall be valid from 02.08.2023 to 01.08.2026
2. पंजीकरण का यह नवीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा नियम, 1939, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।
2. This RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Rules of 1939, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान:

Place:

दिनांक:

Date:

हैदराबाद  
Hyderabad  
23.08.2023

आदेशानुसार  
By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India